मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 12.02.2026

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर-इरादतन हत्या के अभियोग में 04 आरोपियों को करायी 10-10 वर्ष का कारावास एवं ₹ 20,000-20,000/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” व मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत “पीयूष मोर्डिया” अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व “आर.पी.सिंह” पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में “अपर्णा रजत कौशिक” पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना मड़िहान पर गैर-इरादतन हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय SPL(J) SC/ST Act., मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध 04 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कारावास एवं ₹ 20,000-20,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः 24.05.2024 को थाना मड़िहान पर वादी विजय कुमार मौर्या पुत्र रामकिशुन मौर्या निवासी ग्राम दांती थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध वादी के भाई को रास्ते की विवाद को लेकर लाठी-डण्डा से मारपीट करने व इलाज के दौरान मृत्यु होने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर मु0अ0सं0-127/2024 धारा 304,307,325,323,504,506,34 भादवि पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना मड़िहान पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी राजेश यादव व उदय प्रताप सिंह, विवेचक- उप निरीक्षक राजेश सिंह, कोर्ट मुहर्रिर- आरक्षी विनोद कुमार गोस्वामी तथा पैरोकार- आरक्षी मनोज कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके फलस्वरूप आज दिनांकः 12.02.2026 को मा0न्यायालय SPL(J) SC/ST Act., मीरजापुर-ऋचा जोशी द्वारा दोषसिद्ध 04 अभियुक्तों 1. कमलेश कुमार मौर्या पुत्र स्व0 श्यामलाल, 2. राम सजन मौर्या पुत्र रामलाल, 3. अमित कुमार मौर्या पुत्र राजेश मौर्या व 4. नीरज कुमार मौर्या पुत्र कमलेश कुमार मौर्या निवासीगण ग्राम दांती थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर को अन्तर्गत धारा 304(2),34 भादवि में 10-

10 वर्ष का कारावास एवं ₹ 20,000-20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

****